



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-ओ.आर.-अ.-24022026-270427  
CG-OR-E-24022026-270427

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 916]

नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 24, 2026/फाल्गुन 5, 1947

No. 916]

NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 24, 2026/PHALGUNA 5, 1947

रेलवे मंत्रालय

[पूर्व तट रेलवे (निर्माण)]

अधिसूचना

भुवनेश्वर, 24 फरवरी, 2026

रेलवे अधिनियम, एक हजार नौ सौ नवासी की धारा 20A के तहत सूचना

का.आ. 960(अ).—रेलवे (संशोधन) अधिनियम, 1989 (89 का 24) (इसके बाद उक्त अधिनियम के रूप में संदर्भित) की धारा 20A की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होने के बाद कि सार्वजनिक उद्देश्य के लिए, भूमि, जिसका संक्षिप्त विवरण इसके साथ संलग्न अनुसूची में दिया गया है, ओडिशा राज्य में संबलपुर जिले में विशेष रेलवे परियोजना, अर्थात्, "सतही क्रॉसिंग से बचने के लिए सरला के DN ग्रिड को जोड़ने के लिए संबलपुर शहर के अंत से फ्लाईओवर (4.66 किमी)" का निर्माण के लिए आवश्यक है। एतद द्वारा ऐसी भूमि का अधिग्रहण करने के अपने इरादे की घोषणा करता है।

उक्त भूमि में रुचि रखने वाला कोई भी व्यक्ति कर सकता है। आधिकारिक राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर, उक्त अधिनियम की धारा 20-D की उप-धारा (एक) के तहत उक्त उद्देश्य के लिए ऐसी भूमि के अधिग्रहण पर आपत्ति उठाएं।

प्रत्येक आपत्ति सक्षमप्राधिकारी, अर्थात्, विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी, तालचेर-संबलपुर रेल लिंक, जिला संबलपुर, सतही क्रॉसिंग से बचने के लिए सरला के DN ग्रिड को जोड़ने के लिए संबलपुर शहर के अंत से फ्लाईओवर

(4.66 किमी), जिला – संबलपुर , राज्य – ओड़ीशा को लिखित रूप में की जाएगी, और उसके आधार निर्धारित करेगा और सक्षम प्राधिकारी आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप से या किसी कानूनी व्यवसायी के माध्यम से सुनवाई का अवसर देगा, और उसके बाद, ऐसी सभी आपत्तियों को सुनकर और ऐसी आगेकी जांच करनेके बाद, यदि कोई हो, जैसा कि सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा, या तो आपत्तियों को अनुमति या अस्वीकार कर देता है।

उक्त अधिनियम की धारा 20-D की उप-धारा (2) के तहत सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा। इस अधिसूचना के अंतर्गत आनेवाली भूमि की योजना एवं अन्य विवरण उपलब्ध है तथा सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में इच्छुक व्यक्ति द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

### अनुसूची

ओडिशा राज्य में संबलपुर जिले में विशेष रेलवे परियोजना, "सतही क्रॉसिंग से बचने के लिए सरला के DN ग्रिड को जोड़ने के लिए संबलपुर शहर के अंत से फ्लाईओवर (4.66 किमी)" का निर्माण , संरचना के साथ या बिना संरचना के अधिग्रहण कीजाने वाली भूमि का संक्षिप्त विवरण ।

जिला का नाम – संबलपुर

क्रमिक संख्या	गाँव का नाम	खाता संख्या	खसरा/ प्लॉट नं	कुल क्षेत्रफल (एकड़ में)	अधिग्रहित किया जाने वाला क्षेत्र (एकड़ में)	भूमि का किसम	भूमि का प्रकार
1	संकरमा	81	79	10.070	0.610	चका	नीजी
2	संकरमा	98/1214	78	0.770	0.005	चका	नीजी
3	संकरमा	98/109	77	2.890	0.400	घरबारि	नीजी
			कुल =	13.730	1.015		

[फा. सं. CE/C/IV/BBS/Sambalpur City-Sarla/Fly over/20A/Additional/Sankarma]

अजय कुमार सामल, मुख्य अभियन्ता (निर्माण -II)

### MINISTRY OF RAILWAYS

[East Coast Railway (Construction)]

### NOTIFICATION

Bhubaneswar, the 24th February, 2026

### Notice under Section 20A of the Railways Act-1989

**S.O. 960(E).**—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 20A of the Railways (Amendment) Act, 1989 (24/89) (here in after referred as the said Act.), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the Land, brief description of which is given in the schedule annexed here to, is required for the execution of the Special Railway Project, namely, “Fly over from Sambalpur City end to connect the DN grid of Sarla to avoid surface crossing (4.66 Km)” in the district of Sambalpur in the state of Odisha, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may within a period of thirty days from the date of publication of the notification in the Official Gazette, raise objection to the acquisition of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of section 20D of the said Act.

Every objection shall be made to the competent authority, namely Spl. Land Acquisition Officer, Talcher-Sambalpur Rail Link, District Sambalpur for Land acquisition of Flyover from Sambalpur City end to connect the DN grid of Sarla to avoid surface crossing (4.66 Km), District- Sambalpur, State-Odisha, in writing, and shall set out grounds thereof and competent authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or through a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further inquiry, if any, as the competent authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the competent authority under sub-section (2) of 20D of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the competent authority.

#### SCHEDULE

**Brief description of land to be acquired with or without structures, for the Special Railway Project, namely, “Fly over from Sambalpur City end to connect the DN grid of Sarla to avoid surface crossing (4.66 Km)” in District Sambalpur in the state of Odisha.**

**Name of District: Sambalpur**

SI No.	Name of Village	Khata No.	Khasra/ Plot No.	Total Area (In Acre)	To be Acquired Area(In Acre)	Kisam of Land	Type of Land
1	Sankarma	81	79	10.070	0.610	Chaka	Private
2	Sankarma	98/1214	78	0.770	0.005	Chaka	Private
3	Sankarma	98/109	77	2.890	0.400	Gharabari	Private
			<b>Total =</b>	<b>13.730</b>	<b>1.015</b>		

[F No. CE/C/IV/BBS/Sambalpur City-Sarla/Fly over/20A/Additional/Sankarma]

AJAYA KUMAR SAMAL, Chief Engineer (Con-II)